

125)

Govt. of Bihar  
Social Welfare Department  
(Directorate of Social Security and Disability)

Notification

No.-1/Sa.Su-vividh -22/09. S.W

Patna, Date:-

In exercise of the powers conferred by sub rule (4) of the rule 4 of Bihar Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Rules 2012, State Government of Bihar is, hereby pleased to designate with immediate effect all Child Development Project Officer, Social Welfare Department of the state as Conciliation Officer for the purpose of discharging the duties under rule 12 of the said Rules.

By the order of the Government of Bihar

Sd/-

(Rajit Punhani)  
Secretary to the Government

Memo No.- 1/Sa.Su-vividh -22/09. S.W

Patna, Dated-

Copy to Superintendent, State Press, Patna for information and to publish in the extraordinary issue of the State Gazette. It is also requested to publish 1000 copies of the same and sent it to the department.

Sd/-

Secretary to the Government

Memo No.- 1/Sa.Su-vividh -22/09. S.W

Patna, Dated-

Copy to Joint Secretary, Finance department (Directorate e- Gazette) with CD for information and necessary action.

Sd/-

Secretary to the Government


Memo No.- 1/Sa.Su-vividh -22/09. S.W

723

Patna, Dated-

3/4/13

Copy to Chief Secretary, Bihar / Development Commissioner, Bihar/ Principal Secretary to His Excellency the Governor, Bihar / Principle Secretary to Hon'ble Chief Minister , Bihar / All Department Principle Secretary/ Secretaries/ All Divisional Commissioner/ All District Magistrates / All Sub -divisional Officers/ All Assistance Director Social Security / All Child District Programme Officers /All Child Development Project Officers .Directorate General of Police/ All Inspectors General of Police / All Superintendents of Police.

  
Secretary to the Government

AK


बिहार सरकार  
समाज कल्याण विभाग  
(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

अधिसूचना

संख्या-1/सा0सु0विविध-22/09-स0क0 2302 पटना, दिनांक-9/11/11  
1/सा0सु0विविध-22/2009 माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (2007 का सं. 56) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा अधिनियम की धारा 5 के अधीन प्रावधानों के क्रियान्वयन के प्रयोजनार्थ राज्य के प्रत्येक अनुमंडल में एक भरण-पोषण अधिकरण गठित करती है तथा उसकी अध्यक्षता संबंधित अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा की जाएगी और उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भरण-पोषण अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई के प्रयोजनार्थ प्रत्येक जिले में एक अपील अधिकरण गठित करती है तथा उसकी अध्यक्षता संबंधित जिले के परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा की जाएगी और उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समाज कल्याण विभाग के समस्त सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा को, चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाते हों, भरण-पोषण अधिकारी के रूप में पदाभिहित करती है।

यह अधिसूचना तुरन्त प्रवृत्त होगी।

बिहार के राज्यपाल के आदेशानुसार

  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-1/सा0सु0विविध-22/09-स0क0 2302 पटना, दिनांक-9/11/11

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, पटना को सूचना एवं राजकीय गजट के असधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 2000 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने की कृपा की जाय।

  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-1/सा0सु0विविध-22/09-स0क0 2302 पटना, दिनांक-9/11/11

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन, पटना/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव, बिहार सरकार/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/पुलिस महानिदेशक/सभी आरक्षी महानिरीक्षक/सभी आरक्षी अधीक्षक/सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001/माननीय विभागीय मंत्री